(वाद संख्या–1099/18)

03.07.2020

जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर, श्री विजय कुमार झा उपस्थित हैं।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर को सुना।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, श्रीमती सरस्वती देवी द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा 1994 (रॉल कोड–7501 क्रमांक–191) के उनके स्थगित (With held) परीक्षाफल के प्रकाशन से संबंधित है।

उक्त के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि नामांकन की वैधता, एक वर्षीय गहन प्रशिक्षण प्राप्त करने के आदेश, प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु महाविद्यालय में योगदान की तिथि व प्रशिक्षणोपरान्त प्रशिक्षण महाविद्यालय से विरमित होने से संबंधित कागजातों के अभाव में परिवादी, श्रीमती सरस्वती देवी, की परीक्षा फल को स्थगित (With held) रखा गया है। उपरोक्त कागजात/प्रपत्र प्राप्त होने के पश्चात् परिवादी श्रीमती सरस्वती देवी, के स्थगित (With held) परीक्षाफल के प्रकाशन की कार्रवाई की जायगी।

तदुपरान्त आयोग द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर को प्रसंगाधीन मामले से संबंधित संचिका के साथ आयोग के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। उक्त के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर द्वारा यह सूचित किया गया कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बक्सर (डुमराँव) के प्राचार्य श्री आशीष कुमार गुप्ता द्वारा उन्हें सूचित किया गया है कि उक्त प्राचार्य द्वारा अपने पत्रांक–76, दिनांक–26.06.2020 द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के सचिव को यह सूचित किया गया है कि परिवादी प्रसंगाधीन शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा वर्ष, 1994 (सत्र 1990–92) में द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुई है। उनके द्वारा इस संबंध में क्रॉस लिस्ट की अभिप्रमाणित छाया–प्रति भी दाखिल की गयी है, जिसमें परिवादी को द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने का उल्लेख है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर द्वारा आयोग को यह भी सूचित किया गया है कि आज ही प्रसंगाधीन मामले से संबंधित सुसंगत साक्ष्यों के साथ वह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के पटना स्थित कार्यालय जाकर परिवादी के स्थगित (With held) परीक्षाफल के प्रकाशन के संबंध में

प्रयास करेंगे तथा उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि यथाशीघ्र परिवादी सरस्वती देवी के With held परीक्षाफल का प्रकाशन हो जाएगा।

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर द्वारा समर्पित प्रतिवेदन (पृ0–55–51/प0) की प्रति संलग्न कर दिनांक–21.09.2020 के पूर्व तक सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से प्रसंगाधीन मामले के संबंध में प्रतिवेदन की मांग करें साथ ही साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर को यह भी निर्देश दिया जाता है कि उक्त प्रसंगाधीन मामले के संबंध में अनुपालन प्रतिवेदन के साथ दिनांक–21.09.2020 को आयोग के समक्ष अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। तदनुसार दोनों को सूचित कर दिया जाय।

सुनवाई हेतु संचिका दिनांक–21.09.2020 को उपस्थापित किया जाय।

ह0/–
(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक